

# फॉर्म अहकाम

आपका नाम: डा. निरंजना / सोमनाथ काशीपुर

पता: सोमनाथ काशीपुर

दिनांक: 30/10/22

दिनांक / वर्ष

दिनांक आशा या कारवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	दिनांक
27/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। लक्ष्मीका वारी अर्थात् तहसीलदार (सीमा) को लक्ष्मीका वारी के प्रतिपत्त (पौ) अर्थात् प्रजापती (का) अर्थात् 31/10/23 को पेश हो।</p>	
27/10/23	<p>आज्ञा देकर अधिकारी अथवा अधिकारी (सोमनाथ)</p> <p>पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।</p>	
10/11/24	<p>पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।</p> <p>आज्ञा देकर अधिकारी अथवा अधिकारी (सोमनाथ)</p>	
10/11/24	<p>पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।</p>	

आज्ञा देकर अधिकारी अथवा अधिकारी (सोमनाथ)

पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश की जा रही है। अतः राज्य कायदा न्याय है। अतः प्रजापती पूर्व दिनांक 30/10/23 को पेश हो।

आज्ञा देकर अधिकारी अथवा अधिकारी (सोमनाथ)

क्र.सं.	विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप में
---------	-------	-----------------------

10/12/22

पुनः भी है जिनको पश्चिम नदी बनाया जा चुका है जिसे पुनः बनाना आवश्यक है। जिस वार्डों को पश्चिम नदी बनाना आवश्यक है, जो व्यापक रूप से है।

कतः पार्थ वार्ड का आर्थिकता स्वीकार किया जाकर पार्थ को वास्तु विद्या की अनुमति एवं वास्तु वाद अनुमति की अनुमति दी जाये।

पार्थ वार्ड का पंचायत में आचार्य (सं. 6337 929/97) की स्वीकृति प्राप्त है। पंचायत की स्वीकृति तथा पार्थ वार्ड की पंचायत पार्थ वार्ड की स्वीकृति थी।

इसके पार्थ वार्ड को पुनः बनाया जाये। इसका अवलोकन किया, वार्डों में आर्थिकता के अभाव में पार्थ वार्ड को पुनः बनाना आवश्यक है। पार्थ वार्ड को पुनः बनाने के लिए पंचायत को आवश्यक है। पार्थ वार्ड को पुनः बनाने के लिए पंचायत को आवश्यक है। पार्थ वार्ड को पुनः बनाने के लिए पंचायत को आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (साथानर)